रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 863] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2005/श्रावण 27, 1927
No. 863] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2005/SRAVANA 27, 1927

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2005

का.आ. 1145(अ).—राष्ट्रपति, वनों और वन्यजीव क्षेत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में, राष्ट्रीय वन आयोग की अवधि के कार्यकाल को जिसे भारत सरकार की राजपत्र की अधिसूचना सं. 120 [का. आ. 142(अ)] दिनांक 7 फरवरी, 2003 के तहत 6 अगस्त, 2005 तक भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना सं. 23 [का. आ. 33(अ)] दिनांक 6 जनवरी, 2005 द्वारा बढ़ाया गया था, इसे उन्हीं शर्तों पर 6 माह की और अवधि के लिए अर्थात् 6 फरवरी, 2006 तक बढ़ाते हैं।

[फा. सं. 8-13/2004-एफपी]

जी. के. प्रसाद, अपर वन महानिदेशक

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2005

S.O. 1145(E).—The President is pleased to further extend the tenure of the National Forest Commission, constituted to review the working of the Forests and Wildlife Sector under the Chairmanship of Justice B. N. Kirpal, Ex-Chief Justice of India under Government of India Gazette Notification No. 120 [S.O. 142(E)] dated 7th February, 2003 and extended up to 6th August, 2005 *vide* Government of India Gazette Notification No. 23 [S.O. 33(E)] dated 6th January, 2005, for a further period of six months i.e. up to 6th February, 2006 on the same terms and conditions.

[F. No. 8-13/2004-FP]

G. K. PRASAD, Addl. Director General of Forests

2482 GI/2005

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.